न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 03/अपील/23 तारीख दायरा :24.01.2023

उनवान अपील

01. चन्द्रकलाबाई पुत्री छोटी पिता छोटेलाल भोई (कश्यप) निवासी कोटा (राजस्थान)

02. कमलाबाई पुत्री छोटीबाई, पत्नी देवीलाल जाति भोई (कश्यप) निवासी झालावाड़

03. कैलाशबाई पुत्री छोटीबाई, पत्नी बालकिशन जाति भोई (कश्यप) निवासी झालावाड

04. मायाबाई पुत्री छोटीबाई, पत्नी सचिन जाति भोई (कश्यप) निवासी कोटा

05. रामदयाल पुत्र छोटीबाई पिता छोटेलाल जाति भोई (कश्यप) निवासी कोटा

06. राजू पुत्र छोटीबाई, पिता छोटूलाल जाति भोई (कश्यप) निवासी कोटा

.....अपीलांटगण

बनाम

01. कन्हैयालाल आत्मज नाथूलाल

02. प्रेमचन्द आत्मज नाथूलाल

03. बद्रीलाल आत्मज नाथूलाल

04. मोहनलाल आत्मज नाथूलाल

05. रामदयाल आत्मज नाथूलाल

06. सूरजमल आत्मज नाथूलाल

07. सुगनाबाई पुत्री नाथूलाल

08. लक्ष्मीबाई पुत्री नाथूलाल

09. पूजाबाई पुत्री नाथूलाल

10. प्रेमबाई पुत्री नाथूलाल

11. धापूबाई पुत्री नाथूलाल

12. शान्तिबाई पुत्री नाथूलाल

13. गणेश आत्मज किशनलाल

14. सुरेश आत्मज किशनलाल

15. नन्दलाल आत्मज ताराचन्द भोई (मृतक)

जिला कलक्टर
झालावाड़

15/1. नवल किशोर आत्मज नन्दलाल

15/2. सुरेश आत्मज नन्दलाल

15/3. रमेश आत्मज नन्दलाल

15/4. गुलाबचन्द आत्मज नन्दलाल

15/5. रमा पुत्री नन्दलाल निवासी झालावाड़ हाल मुकामात शिवाजी नगर कंसुआ चौराहा के पास मोटे महादेव मन्दिर नागर किराना स्टोर रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील बनाराजगी इंतकाल नं0 157 दिनांक 10.02.1981 तहसीलदार तहसील झालरापाटन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75(1)(क) लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः श्री शैलेन्द्र पोषवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री मनोहर सिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो0 01 लगायत 12

– :निर्णयः –

दिनांकः 16.07.2024

यह अपील जर्ये अभिभाषक श्री शैलेन्द्र पोषवाल प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि माल ग्राम झालावाड़ पटवार हल्का झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान में हाल खसरा नं0 74 रकबा 0.3414 है0 किश्म चाही दोयम, 258 रकबा 0.0759 है0 किश्म बंजड़, 259 रकबा 0.2150 है0 किश्म नहरी प्रथम, 260 रकबा 0.0126 है0 किस्म नहरी प्रथम, 263 रकबा 0.3288 है0 किस्म नहरी प्रथम, 264 रकबा 0.0126 है0 किस्म गैर मु0 चाह, 266 रकबा 0.1391 है0 किस्म नहरी प्रथम कुल किता 07 कुल रकबा 1.1254 हैक्टेयर अर्थात कुल 04 बीघा 09 बिस्वा कृषि आराजियात स्थित है।

यह कि जैर अपील प्रश्नगत वर्णित आराजीयात अपीलार्थीगण की माता छोटीबाई तथा उनके पिता से चली आ रही है और अपीलार्थीगण छोटीबाई के वारिसान है अपील में प्रस्तुत शजरा खानदान अनुसार ताराचन्द (मृतक) वलद चतरा के तीन पुत्र क्रमशः नाथूलाल (मृतक),नन्दलाल, किशनलाल (मृतक) व एक पुत्री छोटीबाई (मृतका) है एवं अपीलांटगण ताराचन्द वलद चतरा की मृतका पुत्री छोटीबाई के वारिसान है। अपील में वर्णित प्रश्नगत आराजी अपीलार्थीगण के नाना ताराचन्द से प्रत्यर्थीगण 01 लगायत 15 तक निरन्तर चली आ रही है एवं सभी प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण व उनकी माता छोटीबाई को बतौर भूमि के मुनाफा काश्त की रकम अदा करते चले आ रहे थे परन्तु वर्तमान में प्रत्यर्थीगण ने मुनाफाकाश्त की रकम अदा करने से यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा कौनसा हिस्सा है ? जिस रकम

जिला कलक्टर झालावाड़

की मांग तुम कर रहे हो वो हम हमारी बहन को वैसे ही देते चले आ रहे है, उसका कोई हिस्सा हमारी भूमि में नहीं बनता है ना ही जमाबंदी रिकार्ड में अमल है। हमारी बहन के साथ ही सारे रिश्ते नाते समाप्त हो गए है। जब जिला अभिलेखागार से आराजियात का रिकार्ड निरीक्षण किया तो पता चला कि उनकी माता व उनका नाम भूमि रेकार्ड में नहीं है तथा जब उनके नाना ताराचन्द का फोती नामा0 157 दिनांक 10.02.1981 तस्दीक किया तब उनकी माता छोटीबाई का वारिसानगण शजरा खानदान में नाम दर्ज नहीं हुआ है। सभी तथ्यों की जानकारी प्रत्यर्थीगण 01 लगायत 15 को होने के कारण ही वे उनकी माता छोटीबाई के जीवित रहने तक ही मुनाफाकाश्त की रकम देते रहे। इसलिए इंतकाल नं0 157 दिनांक 10.02.1981 आरम्भतः ही शुन्य है तथा सम्बंधित तत्कालीन हल्का पटवारी व तहसीलदार झालरापाटन की त्रुटि/भूल के कारण आज वर्तमान में अपीलार्थीगण को क्षति कारित हुई है। अतः अपील पेश कर निवेदन किया है इन्तकाल नं0 157 दिनांक 10.02.1981 खारिज किया जाकर पुनः निरीक्षण एवं सही जांच कर व विधिक प्रकिया अनुसार पक्षकरों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर इन्द्राज किया जावे जिससे कि अपीलांटगण को उचित न्याय मिल सके जिसके वे हकदार है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 01 लगायत 12 की ओर से अभिभाषक श्री मनोहर सिंह शक्तावत का वकालतनाम प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे है जिससे उनका पक्ष सुना नहीं जा सका।

पत्रावली में वकील रेस्पो 01 लगायत 12 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर लेख किया कि अपीलांट द्वारा इंन्तकाल की तारिख के 30 दिन के पश्चात पेश करने का कोई उचित एवं सही कारण नहीं दर्शाया है अतः मियाद बाहर होने से प्रस्तुत अपील खारिज होने योग्य है, जिसकी एक प्रति वकील अपीलांट को उपलब्ध कराई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस उभपक्षकारान रखी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस बताया कि जैर अपील नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 ताराचन्द वलद चतरा के वारिसान को विधिवत जांच व सुनवाई किये बगैर खोला गया है जिससे अपीलांट की माता छोटीबाई पुत्री ताराचन्द का नाम वक्त इंतकाल खोलते समय शजरा खानदान बनाते समय छूट गया जिस त्रुटि/भूल की वजह से इंतकाल में छोटीबाई पुत्री ताराचन्द का नाम दर्ज होने से छूट गया जिसका खामियाजा आज वर्तमान में अपीलांटगण भुगत रहे है इस कारण जैर अपील नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 खारिज होने योग्य हैं अतः स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार तहसील झालरापाटन को पुनः विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार ताराचन्द के वारिसान की जांच कर इंतकाल खोलने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस जवाब अपील के बिन्दुओ

2

जिला कलक्टर
झालावाड़

को दोहराते हुए यही बताया कि अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है खारिज की जावे। इस पर वकील अपीलांट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय अन्तर्गत एसएलपी नं0 27794/2016 सरनपाल कोर आनन्द बनाम प्रद्युमन सिंह चन्दलोक व अन्य पेश कर बताया कि निर्णय अनुसार लिमिटेशन एक्ट 1963 को किसी प्रकरण के निस्तारण में एकमात्र आधार मानकर मुख्य धारा के बिन्दु को नजर अंदाज कर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में एक और दृष्टांत विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 32601/2018 निर्णय दिनांक 24 अगस्त 2020 पेश कर बताया कि **'The court ruled that the death of the daughter does not ceases her right to claim for coparcenary right in the property. If she is not alive then it will be passed to her nominee or legal heirs.'** बेटी के मृत्यु उपरान्त भी पेतृक संपत्ति में उसके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, यदि वह जीतिव नहीं रहती है तो ये अधिकार उसके द्वारा नामित अथवा उसके विधिक वारिसान को चले जायेगें। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार तहसील झालरापाटन को उचित आदेश दिये जावे।

हमने बहस विद्वान वकील उभयपक्षकारान सुनी, बहस पर मनन किया। अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया। दौराने अवलोकन जैर अपील शजरा खानदान यह प्रतीत होता है कि अपीलांट की माता छोटीबाई जो कि ताराचन्द की विधिक वारिसान है का नाम वक्त इंतकाल खोलते समय दर्ज होने से छूट गया जो कि विधि के अनुसार सही नहीं है एवं एक भूल यदि वक्त इंतकाल खोलते समय कारित हुई है तो उसकी वजह से मृतक ताराचन्द की बेटी छोटीबाई (मृतक) के वारिसान को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार तहसील झालरापाटन द्वारा खोला गया इंतकाल 157 दिनांक 10.02.1981 अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट तहसीलदार तहसील झालरापाटन को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक ताराचन्द के वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर नये सिरे से इंतकाल खोला जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झालरापाटन को प्रेषित की जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़